भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1538
26 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारिता हेतु योजनाएं

1538. श्री विजय बघेल:

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन योजनाओं को शुरू करने का विचार है; और

(ग) क्या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातीय समाज और जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने हेतु कोई योजना चलाई जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहकारिता क्षेत्र को पुन:सक्रिय करने, पारदर्शिता लाने, आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी समितियों की स्थापना करने, और जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच का विस्तार करने के लिए मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विभिन्न पहलें की हैं:

i. त्रिस्तरीय ग्रामीण ऋण अवसंरचना के निचले पायदान पर आने वाली 63,000 कार्यशील PACS के डिजिटलीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से "प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण" नामक एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना का शुभारंभ किया है । यह परियोजना उनके प्रचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी । जनजातीय क्षेत्रों में पैक्स की तरह की समितियां, जैसे बृहद क्षेत्र बहुउद्देशीय समितियों (LAMPS) को भी इस परियोजना से लाभ मिलेगा ।

ii. ग्रामीण स्तर पर PACS को जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाने हेतु उनके कार्यकलापों में विविधता लाने के लिए राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारिता संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप मॉडल उपनियम बनाए जा रहे हैं ।

iii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) सहकारिता मंत्रालय का एक सांविधिक संगठन है, जो सहकारिता क्षेत्र को विभिन्न कार्यकलापों यथा प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों के शेयरपूंजी आधार को सुदृढ़ करना, प्रसंस्करण केन्द्रों, भंडारण सुविधाओं की स्थापना, शीत श्रंखला की स्थापना और आधुनिकीकरण, सहकारी बैंकिंग इकाईयों के गठन, कृषि सेवाएं, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण, सहकारी उद्यम और नवाचार के लिए "युवा सहकार", स्वास्थ्य क्षेत्र में 'आयुष्मान सहकार', महिला सहकारिता के सहयोग के लिए 'नंदिनी सहकार', इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

iv. सहकारी समितियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा सहकार से समृद्धि योजना के लिए भी पहलें की जा रही हैं ।

v. देश भर में सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिकीकृत और पेशेवर बनाने के लिए भी एक योजना बनाई जा रही है ।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की जा रही पहलों के अतिरिक्त, अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी सहकारी समितियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलायी जा रहीं हैं, जैसे:-

i. कृषि अवसंरचना फंड (कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय) – FPO, PACS, उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और अन्य लाभार्थियों द्वारा फार्म गेट पर अवसंरचना परियोजना के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए के ऋण तक, सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा रही है ।

ii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास फंड (पशुपालन और डेयरी विभाग)- यह योजना नए दुग्ध-प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, उनके आधुनिकीकरण, पुनर्विकास सेवाओं, दुग्ध परीक्षण उपकरणों, बीएमसी इकाईयों, भंडारण सुविधाओं, परिवहन और विपणन की स्थापना के उद्देश्य से देशभर के राज्य डेयरी संघ और NDDB अनुषंगी संस्थान, जिन्हें पात्र अंतिम उधारकर्ता (EEB) भी कहा जाता है, को ऋण सहायता और 2.5% ऋण अनुदान प्रदान करने की परिकल्पना करता है ।

iii. मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर विकास फंड (मत्स्य विभाग)- यह योजना ब्रूड बैंक की स्थापना, हैचरी के विकास, एक्वाकल्चर के विकास, जलशय में केज-कल्चर, बर्फ संयंत्रों की स्थापना,शीतागार के निर्माण, मत्स्य परिवहन आदि सहित विभिन्न अंतरदेशीय मत्स्य पालन कार्यकलापों के विकास के लिए 3% ब्याज अनुदान के साथ रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

iv. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED), मुख्यत: वनों में निवास करने वाली जनजातीय आबादी वाले जिलों में लघु वन उत्पादों (MFP) के संग्रहण और विक्रय के वन धन कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है । इसका उद्देश्य जनजातीय जिलों में जनजातीय स्वामित्व वाली वन धन विकास केन्द्र समूहों (VDVKCs) की स्थापना करना है । इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूहों/वन धन केन्द्रों को 100% सहायता प्रदान की जाती है ।

भारत सरकार की सभी योजनाएं/परियोजनाएं, छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के सहकारी क्षेत्रों को पुन:सक्रिय करने की दिशा में अभिमुख है । इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने गत 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सहकारी समितियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की है:

क्रम सं.	**वर्ष**	**संवितरण (करोड़ रुपए में)**
1	2019-20	5,500.34
2	2020-21	12,000.07
3	2021-22	12,400.87
कुल		**29901.28**

******